4(म) 65

सीएफ़ रा0पी0ज0

आयुक्त एवं सचिव
राजस्व परिषद 20/1/14
उत्तराखण्ड, देहरादून

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–1
रा0प0/दि0 21/01/2014 संख्या- -/XVIII(1)/2013-2(19)/2011
देहरादूनः दिनांकः 15 जनवरी, 2014

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1901) (अनुकूलन एवं उपान्तरण) 2001 की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और पूर्व में इस निमित्त की गयी सरकारी अधिसूचनाओं में आंशिक उपान्तरण करते हुए इस अधिसूचना के सरकारी में प्रकाशित होने के दिनांक से जिला उधमसिंहनगर में **"रूद्रपुर"** मुख्यालय के साथ नीचे ची में विनिर्दिष्ट ग्रामों से मिलकर **"रूद्रपुर"** ज्ञात नाम से एक नई तहसील सृजित करने और न तहसील किच्छा एवं तहसील गदरपुर की सीमा से उक्त ग्रामों को पृथक करने की सहर्ष ति प्रदान करते हैं।

राज्यपाल यह भी निर्देश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात से किसी विधि लय में, जिसने उक्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में अब तक अधिकारिता का प्रयोग किया है, पहले से या लम्बित किसी विधिक कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

जित तहसील रूद्रपुर में सम्मिलित तहसील किच्छा एवं तहसील गदरपुर के ग्रामों की सूची

क्र0सं0	ग्राम का नाम	राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी)/लेखपाल क्षेत्र का नाम
1	2	3
1.	**दानपुर**	दानपुर
2.	कोलड़ा	
3.	कोलडिया	
4.	बागवाला	
5.	**रम्पुरा**	रम्पुरा
6.	फाजलपुर महरौला	
7.	जगतपुरा	
8.	**रूद्रपुर**	रूद्रपुर
9.	लमरा	
10.	बिगवाड़ा	
11.	शिमला बहादुर	
12.	**मटकोटा**	मटकोटा
13.	भूड़ारानी	
14.	बिन्दुखेडा	
15.	**भमरौला**	भमरौला
16.	मलसा गिरधरपुर	

17.	मलसी	
18.	**कुरैया**	कुरैया
19.	रहपुरा	
20.	सैजनी	
21.	बिडौरा	
22.	**कल्याणपुर**	कल्याणपुर
23.	छत्तरपुर	
24.	**लालपुर**	लालपुर
25.	खमरिया	
26.	रामेश्वरपुर	
27.	कोठा	
28.	**शिमलापिस्तौर**	शिमलापिस्तौर
29.	लौहर्रा	
30.	लोहरी	
31.	गंगापुर पटिया	
32.	**फूलबाग**	फूलबाग
33	फुलसुंगा	
34.	फुलसंगी	
35.	**विजयनगर**	विजयनगर
36.	श्रीरामपुर	
37.	जयनगर	
38.	रायपुर	
39.	**अमरपुर**	अमरपुर
40.	खानपुर पूर्व	
41.	लम्बाखेड़ा	
42.	सैदअलीगंज	
43.	जाफरपुर	

आज्ञा से,

(भास्करानन्द)
सचिव

संख्या– / XVIII(1)/2013 एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया इसे विधायी परिशिष्ट भाग–4, खण्ड–ख परिनियत आदेश में प्रकाशित कराकर मुद्रित अधिसूचना की 200 प्रतियां राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(भास्करानन्द)
सचिव